न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 532/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1. मालाराम पुत्र मगनाराम
2. दुर्गाराम पुत्र मगनाराम
3 मुतरो पत्नि भगाराम कलबी सा. ओपजी कीढाणी
4 सरपंच ग्राम पंचायत मूल की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1979.

आदेश दिनांक 11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम ओपजी की ढाणी मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नही किया।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8. 2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता / डामर सडक मार्ग ओपजी की ढाणी के खसरा नंबर 857, 859, 978 मे चल रहा है।

अतः मौजा ओपजी की ढाणी के ओपजी की ढाणी से परालिया सांसण –गवालनाडा सडक तक खसरा नंबर 857,859,978 रकबा 0.16,बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner

...त/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे ...र्गत विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्तला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा ओपजी की ढाणी मे अवस्थित खसरा नंबर 978,859,857 रकबा 0.16,2.09,2.01 बीगा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब'नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया ।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner